बातचीत के बिंदु-08

मजदूर –किसान संघर्ष रैली

सीटू-अखिल भारतीय किसान सभा-अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन

5 सितम्बर 2018

संसद के समक्ष

सामाजिक न्याय

दलित और आदिवासी हमारे देश के कामकाजी लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। भूमि, कारखाना तथा अन्य उद्योग एवं प्रतिष्ठानों के मालिकों द्वारा इनका शोषण अन्य वर्गों की तरह होता है; अन्य कामकाजी लोगों के साथ ही इनको भी शिक्षा तथा नौकरी के अवसरों में हमारे देश की जाति व्यवस्था में कुछ को उच्च तथा कुछ को निम्न का दर्जा प्राप्त है, जहाँ सामान्य रूप से आदिवासी निम्न दर्जे में आते हैं। प्राचीन भारत में गरीब लोगों के कृषि और गैर कृषि कार्य में शोषण के हथियार स्वरूप भेदभाव के रूप में यह व्यवस्था अस्तित्व में आई। उच्च जाति द्वारा "अशुद्ध" करार दिए "कार्य अथवा व्यवसाय" जैसे मृत जानवरों को संभालना, कपड़े धोना, दाह–संस्कार इत्यादि कार्यों को **स्वच्छता के अपनाने के लिए** निम्न जातियों को कठोर दबाब दिया जाता था। इस दमनकारी प्रणाली को वर्तमान समय में संरक्षित किया गया है और जबरदस्ती कामकाजी लोगों के इस बड़े समूह को "दोहरी–दासता(DOUBLE&YOKE)" की शोषित जीवन जीने को मजबूर किया जाता है।

दलित एवं आदिवासी – सबसे अधिकउ त्पीड़ित कामकाजी जनता

दलित एवं आदिवासी जनता सबसे ज्यादा शोषित हैं, एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 61 प्रतिशत दलित भूमिहीन हैं, 82 प्रतिशत के पास एक एकड़ से कम जमीन है, इसी तरह 39 प्रतिशत आदिवासियों के पास भूमि नहीं है जबकि 48 प्रतिशत के पास एक एकड़ से कम जमीन है। इसका मतलब है कि यह समाज का सबसे गरीब और **उत्तरजीविता/आजीविका** के लिए मजदूरी पर निर्भर है। औसतन, ग्रामीण क्षेत्रों में एक दलित परिवार उच्च जाति से 37 प्रतिशत कम कमाता है और शहरी क्षेत्रों में 60 प्रतिशत कम। यह तथ्य केवल इस बात को नहीं दर्शाता है कि दलित और आदिवासी दूसरों की अपेक्षा भेदभावपूर्ण रूप से कम मजदूरी पाते हैं तथा ज़्यादा गरीब हैं, बल्कि सरकार द्वारा लगातार बात उठाने और इनके "उत्थान" के लिए इतनी सारी योजनाओं के बावजूद ये अपनी कमी और जीवन–स्तर में पीछे रहते हैं।

नौकरी एवं आरक्षण

सरकारी रिपोर्ट दर्शाती है की ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 53 प्रतिशत दलित और 38 प्रतिशत आदिवासी, अनौपचारिक मजदूरी करते हैं जबकि 9 प्रतिशत दलित व 6 प्रतिशत आदिवासी, नियमित मजदूरी पर। शहरी क्षेत्रों में 21 प्रतिशत दलित और 18 प्रतिशत आदिवासी अनौपचारिक मजदूरी करते हैं और 27 प्रतिशत दलित तथा 20 प्रतिशत आदिवासी स्व–नियोजित हैं अर्थात छोटी मोटी दुकानदारी इत्यादि।

श्रम विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार 48 प्रतिशत दलित एवं 54 प्रतिशत आदिवासी कर्मियों को पूरे साल काम नहीं मिलता है। इन्हें एक स्थान पर कुछ महीने के लिए काम मिलता है, उसके बाद कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं, फिर कुछ समय के लिए दूसरी नौकरी मिल पाती है। हाड़–तोड़ने तथा कम भुगतान वाले काम जैसे ईंट बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में नमक बनाने के काम और शहरी क्षेत्रों में ठेके पर सफाई कार्य इनके द्वारा किया जाता है। स्पष्ट रूप से ज्यादातर दलित और आदिवासी कम भुगतान वाली और असुरक्षित नौकरियों में हैं– इस प्रकार इन्हें गरीब रहने के लिए मजबूर किया जाता है। दलित और आदिवासियों में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। यह आश्चर्य की बात नहीं है उपरोक्त तथ्यों के अनुसार इनमें से ज्यादातर आकस्मिक एवं अनियमित श्रमिक हैं। यहाँ विभिन्न सेवाओं में ठेकेदारी प्रथा बढ़ी है, जिसमें ज्यादातर दलित कर्मचारी कार्यरत हैं, जैसे ठेके के आधार पर कार्यरत सफाई कर्मी। इन्हें प्रायः अल्पकालिक समय के लिए ठेके पर रखा जाता है और स्थाई कर्मचारियों को प्राप्त लाभों की तरह कोई लाभ नहीं दिया जाता।

आकस्मिक काम पर निर्भरता के कारण दलित और आदिवासियों को कम भुगतान वाले काम को स्वीकार करना पड़ता है, यह एक प्रकार की छिपी हुई बेरोजगारी है, जिसे प्रायः "अल्प–रोजगार" कहा जाता है।

सरकारी नौकरियों में भी, जहाँ आरक्षण का संवैधानिक जनादेश लागू होता है, वहां दलित अधिक अनुपात में ग्रुप "सी" में हैं जिसमें सभी कम भुगतान वाली नौकरियां शामिल हैं, जैसे सफाई, गृह–सेवा, चौकीदार इत्यादि। सरकारी आंकड़ो के अनुसार 40 प्रतिशत दलित लगभग इस श्रेणी की नौकरियों में हैं, जबकि अधिकारियों की उच्च श्रेणी में इनका अनुपात गिरकर 3 प्रतिशत रह जाता है।

अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षित पदों को भरने में एक बड़ा बैकलॉग' है। हाल ही में संसद में दिए गये बयान से पता चला है कि 10 मंत्रालयों और विभागों में 8223 अनुसूचित जाति तथा 6955 अनुसूचित जनजातियों के रिक्त स्थान थे। यह दर्शाता है कि दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण प्रभावी रूप से लागू नहीं हुआ। आरक्षण दलित और आदिवासियों के उत्थान के लिए आवश्यक नीति है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह इस समुदाय के सभी सदस्यों की मदद नहीं कर सकता। एक तो, सरकारी नौकरियां सीमित हैं, दूसरे, नव–उदारवादी नीतियों वाली सरकारें, इन नौकरियों को घटा रही है। इसके साथ – साथ और पदों को खाली रखा जा रहा है, जिन्हें बाद में समाप्त किया जाएगा, जैसाकि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार ने हाल ही में किया है।

आदिवासी और दलितों के लिए सरकारी निधि

केन्द्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारें, दलित और आदिवासियों के लिए नीतियों का जोर – शोर से प्रचार करते हैं। घोषणाओं द्वारा इस बात का प्रचार करती हैं कि आदिवासी और दलितों का बहुत ही लाड–प्यार हो रहा है। प्रधानमन्त्री मोदी के अधीन केन्द्र की भाजपा सरकार ने इस मोर्चे पर सभी सरकारों को पीछे छोड़ दिया है। एक नीति थी की यदि दलितों और आदिवासियों पर सरकार का बजट व्यय देश की आबादी में उनके अनुपात के अनुसार होना चाहिए। इसका मतलब लगभग 16.6 प्रतिशत निधि दलितों पर और 8 प्रतिशत आदिवासियों पर खर्च होना चाहिए। मोदी सरकार ने इस नीति को ही समाप्त कर दिया, और अब जरूरत का आधे से कम खर्च किया जा रहा है। 2014–2015 में मोदी द्वारा संचालित इस भाजपा सरकार के तहत, दलितों के लिए आवंटन, जो बजट का 8.79 प्रतिशत था, 2015–16 में 6.63 प्रतिशत, 2016–17 में 7.06 प्रतिशत, 2017–18 में 8.9 प्रतिशत तथा 2018–19 में 6.55 प्रतिशत किया गया, जो 2014–2018 के बीच औसत आवंटन 7.59 प्रतिशत रहा। यह सरकार द्वारा तय किये गये लक्ष्य 16.6 प्रतिशत का आधे से भी कम है। उसी प्रकार आदिवासियों के लिए 8 प्रतिशत खर्च की बजाय 2014–15 और 2018–19 के बीच मोदी सरकार द्वारा किया गया खर्च औसत 6.77 प्रतिशत रहा। इसके अलावा केन्द्र में भाजपा सरकार ने विभिन्न योजनाओं का नाश ही किया है, जो दलित और आदिवासियों के लिए लाभदायक हो सकती थी। उदाहरण के लिए 8000 करोड़ रुपये की आवश्यकता के विरुद्ध 2017–18 में केन्द्र सरकार ने 3347.9 करोड़ रुपये का बजट दिया। दलितों और आदिवासी छात्रों की छात्रवृति के लिए, छात्रों की संख्या में भारी वृद्धि होने के वाबजूद 2018–19 के लिए इसे 3000 करोड़ रुपये तक घटा दिया गया। सामाजिक न्याय मंत्रालय के अनुसार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राज्यों से लंबित दावों की राशि 6824.5 करोड़ रुपये थी।

हालाँकि 25 साल पहले मैनुअल सफाई को कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया था लेकिन यह पूरे भारत में जारी है। कुछ दलित उप–जातियां अभी भी इस कार्य को कर रही हैं। भारतीय रेलवे पर मैनुअल सफाई–कर्मी को सबसे बड़ी संख्या में नियोजित करने का आरोप है। मैनुअल सफाई–कर्मियों को न केवल बहुत खराब भुगतान किये जाते हैं, बल्कि नियोक्ता ज्यादातर सीधे ठेकेदार, विभिन्न नगरपालिका और नगर निगम, अप्रत्यक्ष रूप से इनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की परवाह नहीं करते, अंतः जहरीली गैस के कारण और सुरक्षा उपकरण न होने की वजह से पिछले दिनों काम के दौरान 1500 श्रमिकों की मौत हो गई, जिन्हें वापस जीवित नहीं किया जा सकता। किन्तु आर्थिक सहायता के नाम पर उनके परिवारों को कुछ क्षतिपूर्ति दी तो गई है, लेकिन अधिकतर, अधिकांश सफाई कर्मचरियों का नाम श्रमिकों के रजिस्टर में दर्ज ही नहीं किया जाता है और उनके परिवारों को ये मामूली आर्थिक सहायता से भी मरहूम कर दिया जाता है।

अति क्रूर व्यवहार (उत्पीडन)

जैसा की वर्ष 2016 के एनसीआरबी के आंकड़े बताते है –भारत में दलित एवं अनुसूचित जाति और जनजातियों के साथ हर घंटे पांच के साथ अधिक अति क्रूर व्यवहार सम्बन्धी मामले, जैसे अपशब्दों से सम्बोधन, गाली–गलौज, जबरन पेशाब पिलाना, मारना, बलात्कार और हत्या इत्यादि के मामले होते हैं। अनुसूचित जातियों पर, 2015 में हुए ऐसे 38,670 मामलों की तुलना में 2016 में 40,801 अपराधिक मामलों को 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर से दर्ज किया गया। आदिवासी समुदाय के साथ भी ऐसे ही समान अपराधिक व्यवहार के मामले दर्ज हैं।

इन निबंधित मामलों के अलावा देश भर में दलित एवं आदिवासियों के हजारों अमानवीय कृत्य और भेदभाव की घटनाएँ प्रति दिन होती रहती हैं। बहुत राज्यों के सर्वेक्षणों में, राज्यों में दलित एवं आदिवासियों के साथ प्रतिदिन भेदभाव पूर्ण व्यवहार, अलग खाने के वर्तन/पीने के गिलास, अलग नल, कुंओं की व्यवस्था और उच्च जातियों के समक्ष नहीं बैठने आदि के चलन को रिपोर्ट किया है।

वर्तमान भाजपा सरकार, अनुसूचित जाति/जनजातियों एवं एसटी प्रीवेंशन ऑफ एटरोसिटिज एक्ट के मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में सार्थक रूप से रखने में विफल रही है। साथ ही इस कानून को कमजोर करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ, सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यु–पेटीशन दाखिल करने में भी विफल रही है। जब इस निर्णय के प्रतिरोध में पूरे देश में दलित आदिवासियों ने सडकों पर प्रतिकार किया तो भाजपा की राज्य सरकारों ने इन पर गोलियां चलाईं और 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। महाराष्ट्र के भीमाकोरे गाँव की हिंसा में शामिल अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर, राज्य सरकार दलित अधिकार के संघर्ष के कार्यकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही कर रही है।

दलित एवं आदिवासियों के अधिकार के लिए संघर्ष –एक जरूरत

श्रमिक वर्ग का प्राथमिक कर्तव्य है कि सभी प्रकार के अन्याय और दमन के खिलाफ संघर्ष कर उन्हें शिकस्त दें। अपने उच्च लाभ कमाने के लिए सस्ते और प्रचुर श्रमिकों की उपलब्धता को बरकरार रखने के लिए, कुलीन वर्ग, जमींदार और उद्योगपति जाति–भेद और जाति आधारित शोषण के हथियार से दमन कर श्रमिकों की एकता को विखंडित करते हैं, इनके विरुद्ध कामगारों को अंतहीन लड़ाई लड़ने का आहवान करना होगा।

कामगारों का बेहतर जीवन स्तर और बेहतर काम करने की अवस्था का संघर्ष तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक दलित एवं आदिवासी भाई–बहनों का तबका अमानवीय भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करते रहेगो। इसी तरह किसानों की पैदावारों के उचित और लाभकारी मूल्य तथा ऋण–माफी की लड़ाई, बहुसंख्यक आदिवासी मजदूर और सीमांत किसानों के उचित मजदूरी और वन–सम्पदा के उनके हक की लड़ाई को जीते बगैर, यह लड़ाई जीती नहीं जा सकती है।

दलित एवं आदिवासियों के साथ भेदभाव, हिंसा, अधिकार पर हमला और सामाजिक उत्पीड़न के मुद्दे को श्रमिक संगठनों को अपने मुद्दों के साथ लेकर, सभी क्षेत्र के श्रमिकों की व्यापक गोलबंदी करनी होगी। श्रमिक एवं उनके संगठन एक क्षेत्र या वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि तमाम क्षेत्रों के सभी कामगारों की एकता को सुनिश्चित कर ही अपने संघर्ष को सफल कर सकते है। यह एकता इस समय और भी अधिक महत्वपूर्ण है जब सारे कामगार वर्गों को नव–उदारवादी हमलों के साथ–साथ साम्प्रदायिक एवं जातिवाद शक्तियों के विद्वेषपूर्ण विभाजनकारी हिंसा का निशाना बनाया जा रहा है।

5 सितम्बर को संसद के समक्ष "मजदूर–किसान संघर्ष रैली" मांग करती है कि दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रावधानों को प्रभावकारी तरीकों से लागू किया जाए।

आइए अपने एकजुट संघर्ष को बढ़ाएं

0.1 प्रतिशत के लिए काम करने वाली सरकार नहीं, वैसी सरकार चाहिए जो 99.9 प्रतिशत के हक में नीति बनाए